आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
	शस्त्रवाद सं. 123/14	

सारण समाहरणालय, छपरा।

न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।
जिला विधि प्रशाखा
तारकेश्वर सिंह, पिता–रामायण सिंह उर्फ रामानन्द सिंह, ग्राम–अवाड़ी, थाना–मढ़ौरा, जिला–सारण
आदेश

5/11/2014

प्रस्तुत शस्त्रवाद पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 2364/गो0 9.6.14 के द्वारा आवेदक तारकेश्वर सिंह, पिता–रामायण सिंह उर्फ रामानन्द सिंह, ग्राम–अवाड़ी, थाना–मढ़ौरा, जिला–सारण का एक एन.पी.बोर. रायफल की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र के साथ प्राप्त पुलिस जाँच के उपरान्त आरम्भ किया गया है।

आवेदक की उपस्थिति मे सुनवाई की गई एवं अभिलेख में संधारित पुलिस जाँच प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया गया।

आवेदक के द्वारा बताया गया कि उनके और उनके परिवार की सुरक्षा हेतु एक एन.पी.बोर. रायफल की अनुज्ञप्ति प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पर जॉचोपरान्त पुलिस निरीक्षक–सह–थानाध्यक्ष, मढ़ौरा के ज्ञापांक शून्य दिनांक 30.11.14, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मढ़ौरा के पत्रांक 1151 दिनांक 30.11.14 के द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। तत्पश्चात् अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के पत्रांक 227 दिनांक 22.5.14 के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन को पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 2364/गो0 दिनांक 9.6.14 के द्वारा प्रेषित किया गया।

अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन एवं आवेदक को सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक को आजतक किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं हुआ है और न ही इनके द्वारा किसी प्रकार का कोई कांड थाना में दर्ज ही कराया गया है। सुनवाई के कम में भी आवेदक के द्वारा कोई भी ऐसा कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उनके जानमाल पर खतरे की आशंका प्रतीत हो। अतः जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, सारण, छपरा को निर्देश है कि पुलिस अधीक्षक, सारण से आवेदक के जानमाल पर खतरे

की आशंका से संबंधित स्पष्ट प्रतिवेदन की मॉग विहित प्रपत्र में करना सुनिश्चित करें। वांछित प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात सुनवाई हेतु अभिलेख इस न्यायालय को भेजा जाए। लेखापित एवं संशोधित 25/11 जिला दण्डाधिकारी सारण, छपरा। 25/11 जिला दण्डाधिकारी सारण, छपरा।	

ज्ञापांक 1067 दिनांक 2/12/14

प्रतिलिपि - SP सारण/जिला शस्त्र उपाधिकारी, सारण, छपरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर प्रेषित/DIO, NIC, सारण को उक्त आदेश इस जिले के website पर upload करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।
2/12/14

न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, सारण